संख्या: 13/2021/803/12-2-2021-60(82)/2018

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 मार्च, **2021**

विषय: पी0 एम0 किसान योजना के लाभार्थियों को के0सी0सी0 से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विभाग के शासनादेश संख्या: 23/2020/1436/12-2-2020-60(82)/2018 दिनांक 10 अगस्त, **2020** का संदर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना का सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाना था। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में जनपदों द्वारा अभियान चला के प्रार्थना पत्र वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें से बड़ी संख्या में स्वीकृत भी हो गये हैं। परन्तु अद्यावधिक प्रगति के अनुसार जहॉ एक ओर 2 करोड़ 40 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान योजना में पंजीकृत हैं वहीं प्रदेश में निर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 1 करोड़ 56 लाख है।

योजना की समीक्षा में यह भी प्रकाश में आया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी छोटी जोत होने से किसान क्रेडिट कार्ड देने में बैंक रूचि नहीं ले रहे हैं। कई ऐसे कृषक भी हैं जो पैक्स के सदस्य हैं एवं उनका के0सी0सी0 जिला सहकारी बैंक से सीधे बनवाया जा सकता है।

अत: यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों का कृषि विभाग के कर्मचारी शत-प्रतिशत सत्यापन करते हुए सभी इच्छुक लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यह सत्यापन 15.04.2021 तक चलेगा और उसके पश्चात संलग्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी पर आख्या निदेशक कृषि के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पी0 एम0 किसान योजना के लाभार्थी को के0 सी0 सी0 से आच्छादित करने का अभियान

सर्वे रिपोर्ट

विकास खण्ड:

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पी0एम0 किसान लाभार्थियों की संख्या	पूर्व में निर्गत के0सी0सी0/ बैंकों में जमा आवेदन पत्र की संख्या	साधन सहकारी समिति के सदस्य जिन्हे जिला सहकारी बैंक से के0सी0सी0 बनवाया जाना है	जनप बाहर वाले की जिन के0स नहीं सका
1	2	3	4	5	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।